न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 48 / 2025

श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी युवा प्रदेशाध्यक्ष किसान महापंचायत राज0 कार्यालय चौपडा ई–मित्र देवली रोड़ टोंक जिला टोंक --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 26.06.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06.03.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

दिनांक 05.03.2025 को किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष ने जिला कलेक्टर महोदया को फोन पर कृषि उपज मडी समिति सचिव की शिकायत की थी जिस पर मडी सचिव निवाई द्वारा भेजी रिपोर्ट की प्रतिलिपी रिपोर्ट 06.03.2025 को कार्या. जिला कलेक्टर को ई–मेल से मिली थीं। निवाई उपखण्ड अधिकारी द्वारा मडी सचिव निवाई के खिलाफ जॉच रिपोर्ट की प्रतिलिपी। नोट– दोनों बिन्दूओं पर शिकायत किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष ने की थी।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 886 दिनांक 23.05.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 551 दिनांक 05.06.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 319 दिनांक 19.03.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवादी गयी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर